कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 10193-94/18 दिनांक 7.3.18

मुख्यमंत्री जन आवास योजना

भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 सिद्धि मल्टीट्रेड प्रा0 लि0
601 एवं 602 सुख सागर
एन.एस. पाटकर मार्ग,
गीरगॉव चौपाटी, मुम्बई

विषय :— मै0 सिद्धि मल्टीट्रेड प्रा0 लि0 जरिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री इन्दर कुमार द्वारा रूग्ण औद्योगिक ईकाई औद्योगिक क्षेत्र बहरोड़ की परियोजना भूमि UD-1 के पार्ट ए (64667.48 वर्ग मी0) एवं पार्ट 1 बी (45263.28 वर्ग मी0 + 5454.87 वर्ग मी0) भूमि कुल 115385.63 वर्ग मी0 पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में जारी परिपत्र दिनांक 03.04.2017 के अनुसार प्रावधान सं0 1—C(ii) एवं 3बी के तहत आवासीय परियोजना के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ:— आपका आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक 27.02.2018 के क्रम में मै0 सिद्धि मल्टीट्रेड प्रा0 लि0 जरिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री इन्दर कुमार द्वारा रूग्ण औद्योगिक ईकाई औद्योगिक क्षेत्र बहरोड़ की परियोजना भूमि UD-1 के स्वीकृत ले—आउट अनुसार पार्ट ए पर प्रावधान 1—C(ii) एवं पार्ट 1बी पर (विकासकर्ता के भाग पर) 3बी के प्रावधानों अनुसार इस प्रकार कुल 115385.63 वर्ग मी0 भूमि पर स्वीकृति चाही गई है। प्रकरण न्यास की मुख्यमंत्री जन आवास योजना की भवन मानचित्र समिति की 13वी बैठक दिनांक 05.03.2018 के एजेण्डा नं0 02 पर लिये गये निर्णय अनुसार पार्ट ए (64667.48 वर्ग मी0 प्रावधान 1—C(ii)) एवं पार्ट 1 बी (45263.28 वर्ग मी0 + 5454.87 वर्ग मी0 प्रावधान 3बी) कुल 115385.63 वर्ग मी0 भूमि के भवन मानचित्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किए जाते है। उपरोक्त भूमि पर 3 भूखण्ड नियोजित है जिसमें पार्ट 1 (ए व बी) के मानचित्र वर्तमान में स्वीकृत किये जा रहे हैं। भूखण्ड सं0 02 व 03 के मानचित्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर तत्समय के नियमानुसार पृथक से स्वीकृत किये जायेंगे। भूखण्ड सं0 03 व्यवसायिक भूखण्ड है जिसमें 33.33 प्रतिशत भूखण्ड का क्षेत्रफल टाउनशिप पॉलिसी के नियमानुसार इन्फोर्मल व्यवसायिक व शेष 66.67 प्रतिशत भूखण्ड क्षेत्रफल अन्य व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्धारित है इसी प्रकार भूखण्ड सं0 02 समुह आवासीय उपयोग (ग्रुप हाउसिंग) हेतु निर्धारित है।

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन, भवन अनुज्ञा 7 वर्ष तक मान्य रहेगी। किन्तु मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानुसार निर्माण किया जाना होगा।
02. परियोजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना — 2015 के तहत स्वीकृत की गई है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना के समस्त शर्ते/पैरामीटर आदि मान्य होगे।
03. परियोजना के मानचित्र रेरा में आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड किये जाने होगे।
04. आवेदक द्वारा पार्ट ए पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 1—C(ii) के तहत एवं पार्ट 1बी पर प्रावधान 3बी के तहत मानचित्र प्रस्तुत किये है। अतः जन आवास योजना के प्रावधान 1—C(ii) एवं 3बी के अन्तर्गत आने वाले समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
05. प्रावधान 1—C(ii) के अनुसार सैटबैक एरिया का 50 प्रतिशत एरिया सघन वृक्षारोपण किया जाना होगा।
06. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा यह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
07. आवेदित भूमि एन.एच. 8 स्थित है आवेदित भूखण्ड दिनांक 10.05.1978 को आवंटित है तथा मास्टर प्लान 2041 के बिन्दु सं0 7.9.1 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डीड/आवंटन पत्र/अन्य स्वीकृतियॉ के अनुसार इस सडक की चौडाई यथावत मान्य होगी। अतः रिको द्वारा जारी लीजडीड अनुसार सडक की चौडाई पूर्वानुसार स्वीकृत की जाती है। भविष्य में यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सडक की चौडाई हेतु भूमि अधिग्रहित की जाती है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार भूमि उपलब्ध करानी होगी जिसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
08. भवन मानचित्र में दर्शाये अनुसार EWS/LIG फ्लेटो का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना व इस संबंध में जारी दिशा—निर्देशो के तहत ही किया जावेगा।

09. आवासीय योजना 20000 वर्ग मी0 से अधिक निर्मित क्षेत्र का निर्माण पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही किया जावेगा। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्त शर्ते मान्य होगी।
10. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानो के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
11. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
12. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
13. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
14. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
15. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
18. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावें तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
19. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्त्ता की होगी।
20. प्रस्तुत भवन मानचित्रों मे वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानो की पालना एकीकृत भवन विनिमय 2017 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
21. पार्किंग का प्रावधान एकीकृत भवन विनिमय 2017 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार पाकिंग क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नही किया जावेगा।
22. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्त्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
23. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.45 मी0 रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
24. भूखण्ड में नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
25. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
26. एकीकृत भवन विनिमय 2017 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होगे।
27. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
28. एकीकृत भवन विनिमय 2017एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदानुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
29. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाईन्स की पालना विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
30. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानो के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदानुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

ऊपर वर्णित शर्तो एवं भवन विनियम के प्रावधानो के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

संलग्नः- भवन मानचित्र (13)
क्रमांकः आयोजना/ दिनांकः
प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

RERA PHASE-2

Phase -1 is Already Registered with Rera no.- RAJ/P/2018/672

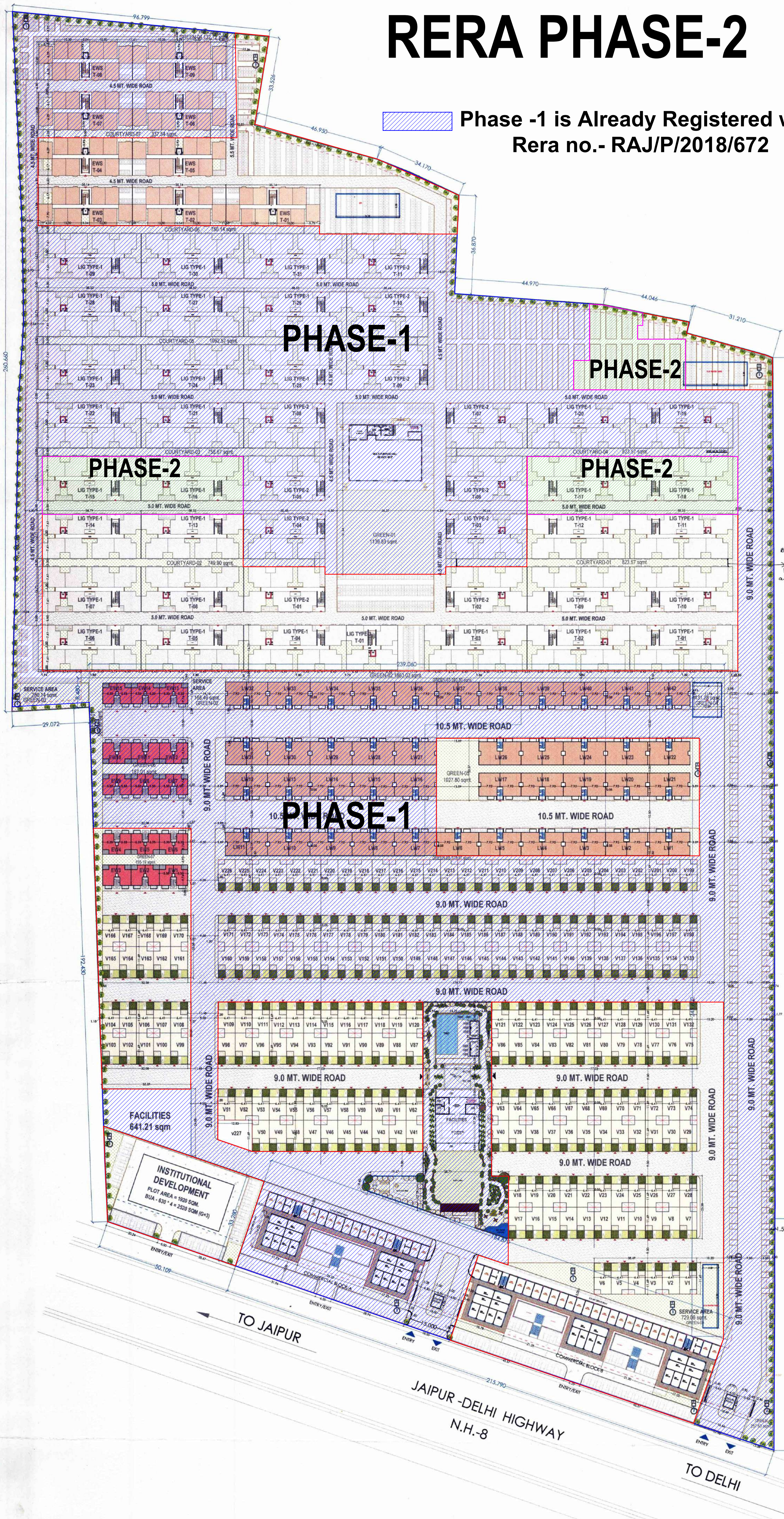

AREA CALCULATIONS

TOTAL NET PLOT AREA	**129334.96 SQ.MT.**
PART - A PLOT AREA	64667.48 SQ.MT.
PART - B PLOT AREA	50718.15 SQ.MT.
PART -A , AREA CALCULATIONS (FOR EWS/LIG (G+4) AS PER PROVISION 1C (ii)	
PLOT - A PLOT AREA	64667.48 SQ.MT.
ACHIEVED HEIGHT	14.95 MT.
TOTAL UNITS PROVIDED	2040.00
PERMISSIBLE E.W.S. UNITS = 20% OF TOTAL UNITS	408 UNITS
E.W.S. UNITS PROVIDED	450.00
L.I.G. UNIT PROVIDED	1590.00
PERMISSIBLE COMMERCIAL AREA=5% OF ACHIEVED BAR (127413.5)	6370.67
ACHIEVED COMMERCIAL AREA	6365.80
MINIMUM COMMERCIAL 1% FOR DAILY USE SHOPS	63.70 SQ.MT.
PROVIDED MINIMUM COMMERCIAL AREA 1.48 %	94.45 SQ.MT.
TOTAL COMMERCIAL SHOPS PROVIDED	204.00
PARKING CALCULATIONS E.W.S. / L.I.G.	
FOR E.W.S PARKING REQUIRED	450 Scooters
FOR L.I.G. PARKING REQUIRED	3180 Scooters
TOTAL PARKING REQUIRED	3630 Scooters
TOTAL PARKING PROVIDED	3635 Scooters
PARKING CALCULATIONS FOR COMMERCIAL	
PARKING REQUIRED =ACHIEVED BAR/75+ 25% (6374.53/75X1.25)	106.09 ECU
SAY CARS	80.00
SCOOTERS	79 (26.33 ECU)
U.G. SERVICES AREA	
UNDERGROUND S.T.P.	**216.00 SQ. MT.**
UNDERGROUND WATER TANK	**216.00 SQ. MT.**
PART 1(B)	
UNDERGROUND S.T.P.	**143.00 SQ. MT.**
UNDERGROUND WATER TANK	**144.00 SQ. MT.**

GREEN AREA (PART A)

·	DESCRIPTION	AREA
		Sqm
1.	GREEN-01	1139.83
2.	GREEN-02	1863.03
3.	GREEN-03	280.14
4.	GREEN-04	132.72
5.	COURTYARD-01	823.57
6.	COURTYARD-02	749.90
7.	COURTYARD-03	758.67
8.	COURTYARD-04	823.57
9.	COURTYARD-05	1092.57
10.	COURTYARD-06	750.14
11.	COURTYARD-07	337.54
12.	1.5mt. BELT OF GREEN	919.30
13.	**TOTAL**	**9671.0**

AREA CALCULATION (PART A)

	DESCRIPTION	AREA	%
		Sqm	
1.	**LAND AREA**	**64667.48**	
a.	GREEN & SERVICES	9671	15.0
b.	COMMUNITY/FACILITY	1806	2.8
c.	GROUND COVERAGE	24354.9	37.7
d.	CIRCULATION	28835.6	44.6

AREA CALCULATION (PART A)

	DESCRIPTION		AREA			G.Built Up Area (BUA)		COMMON AREA (CA)		SBUA		Built Area Ratio (BAR)	
			Sqm	Sqft									
1.	**LAND AREA**		64667.5	**696080.8**									
		NO. OF TOWER	UNITS/ TOWER/ FLOOR	FLOORS	TOTAL UNITS	UNIT BUA	TOTAL BUA	TOWER (CA)	TOTAL (CA)	UNIT (SA)	TOTAL (SA)	UNIT BAR	TOTAL BAR
						Sqm	Sqm	Sqm	Sqm	Sqm	Sqm	Sqm	Sqm
A.	LIG (G+4)T-1	31	8	5	1240.0	56.6	70171.6	361.3	11201.2	62.9	78014.5	55.5	68832.4
B.	LIG (G+4)T-2	11	6	5	330	56.6	18674.7	351.2	3862.8	62.9	20761.9	55.5	18318.3
C	LIG (G+4)T-3	1	4	5	20	56.6	1131.8	208.8	208.8	62.9	1258.3	55.5	1110.2
C.	EWS (G+4)	9	10	5	450.0	33.0	14841.0	326.5	2938.5	37.9	17066.2	32.4	14575.5
							104819.1						102836.4
	COMMERCIAL						4136.9						6365.8
	TOTAL				2040.0		108956.0		18211.3		115842.6		109202.2
	TOTAL BAR		**127413.5**										
	TOTAL G.BUA		**127167.2**										
	TOTAL SBUA		**115842.6**										
	COMMERCIAL PERMISSIBLE	5% OF BAR	6370.7										
	COMMERCIAL ACHIEVED	5.0	6365.8										

all courtyard walls heights above G+1

AREA CALCULATION (PART B)

	DESCRIPTION	AREA	%
		Sqm	
1.	**LAND AREA**	**50718.15**	
a.	RESIDENTIAL	25277.7	49.8
b.	GREEN & SERVICES	3756.72	7.4
c.	FACILITY	3011	5.9
d.	INSTITUTIONAL	1920	3.8
e.	CIRCULATION	16753	33.0

GREEN AREA (PART B)

	DESCRIPTION	AREA
		Sqm
1.	GREEN-01	508.96
2.	GREEN-02	165.49
3.	GREEN-03	280.80
4.	GREEN-04	131.28
5.	GREEN-05	1027.80
6.	GREEN-06	187.01
7.	GREEN-07	155.19
8.	GREEN-08	379.67
9.	GREEN-09	729.06
10.	REM. GREEN POCKET	191.42
11.	**TOTAL**	**3756.7**

AREA CALCULATION (PART B)

	DESCRIPTION		AREA			G.BUA		Built Area Ratio (BAR)	
			Sqm	Sqft					
1.	**LAND AREA**		50718.2	**545930.2**					
		PLOTS		UNITS	TOTAL UNITS	UNIT BUA	TOTAL BUA	UNIT BAR	TOTAL BAR
						Sqm	Sqm	Sqm	Sqm
A.	LIG VILLA	227			227.0	78.2	17744.6	76.6	17388.2
B.	LIG WALKUP (G+2)	84	GROUND	84		68.3	5738.0	63.5	5337.4
			TYPICAL	168	252	68.3	11476.1	66.6	11192.2
			TERRACE						
									0.0
C.	EWS WALKUP (G+2)	30	GROUND	30		37.1	1112.4	33.2	994.8
			TYPICAL	60	90	37.1	2224.8	36.2	2173.8
			TERRACE						
							38295.9		37086.3
	INSTITUTIONAL						2500.0		2500.0
	TOTAL						40795.9		39586.3
	TOTAL BAR		**39586.3**						
	TOTAL G.BUA		**40795.9**						

STANDARD FAR CALCULATION

	PART	TYPE	PLOT AREA (sqm)		UNIT FAR	TOTAL FAR
			NO. OF PLOTS	PLOT AREA		
1.	A			64667.5	1.33	86007.7
2.	B	LIG VILLA	227		130.72	29673.4
		LIG WALKUP (G+2)	84		137.56	11555.0
		EWS WALKUP (G+2)	30		87.84	2635.2
		INSTITUTIONAL		1920	1.33	2553.6
	TOTAL					132425.0

ACHIEVED FAR CALCULATION

PART	TYPE	PLOT AREA (sqm)		UNIT FAR	TOTAL FAR
		NO. OF PLOTS	PLOT AREA		
A					84942.3
B	LIG VILLA	227		76.6	17388.2
	LIG WALKUP (G+2)	84		190.6	16012.1
	EWS WALKUP (G+2)	30		99.5	2984.4
	INSTITUTIONAL			2500	2500
					123827.0
	% OF STANDARD FAR				93.5

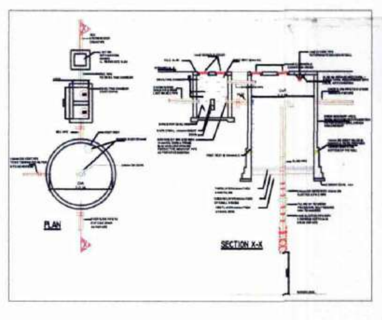

RAIN WATER HARVESTING PIT DETAILS

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण [illegible] पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण–पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी हीं प्रभावित होगे।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगा।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UIT's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान–चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 5/3/2018 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 10193-94/18 Dt. 7/3/2018

50% of setback area will be covered by dense Green.

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

SHEET NO. 01

SUBMISSION DRAWING
SITE PLAN

KEY PLAN

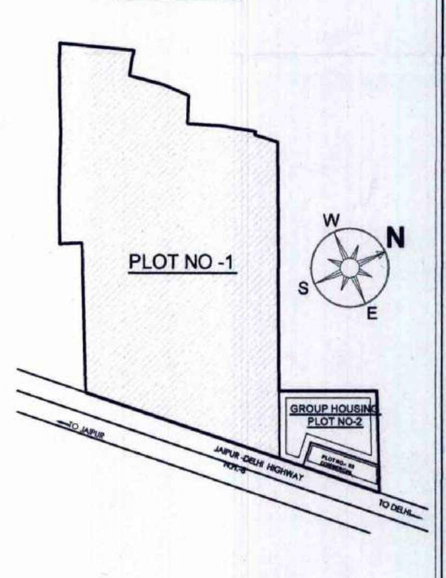

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
SITE PLAN

DATE : 03/03/2018

NORTH : N

SCALE:- 1= 750

PROJECT:-

"UPVAN" THE GARDEN CITY, NH-08(JAIPUR-DELHI SIDE), BEHROR

LAND OWNER:-

M/S SIDDHI MULTITRADE PVT. LTD.
For SIDDHI MULTI-TRADE PVT. LTD.
Authorised Signatory

DEVELOPER:-

REVERANCE INFRASTRUCTURE INDIA LLP.

ARCHITECTS:-
m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2741232
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

Ar. Puneet Dua
B. Arch.
CA/2005/35530

Ar. Puneet Dua
B. Arch.
CA/2005/3 530

OWNER | ARCHITECTS

SHEET NO. - 9

RLG

SUBMISSION DRAWING

FLOOR PLAN

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुार कार्यवाही की जावेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण–पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

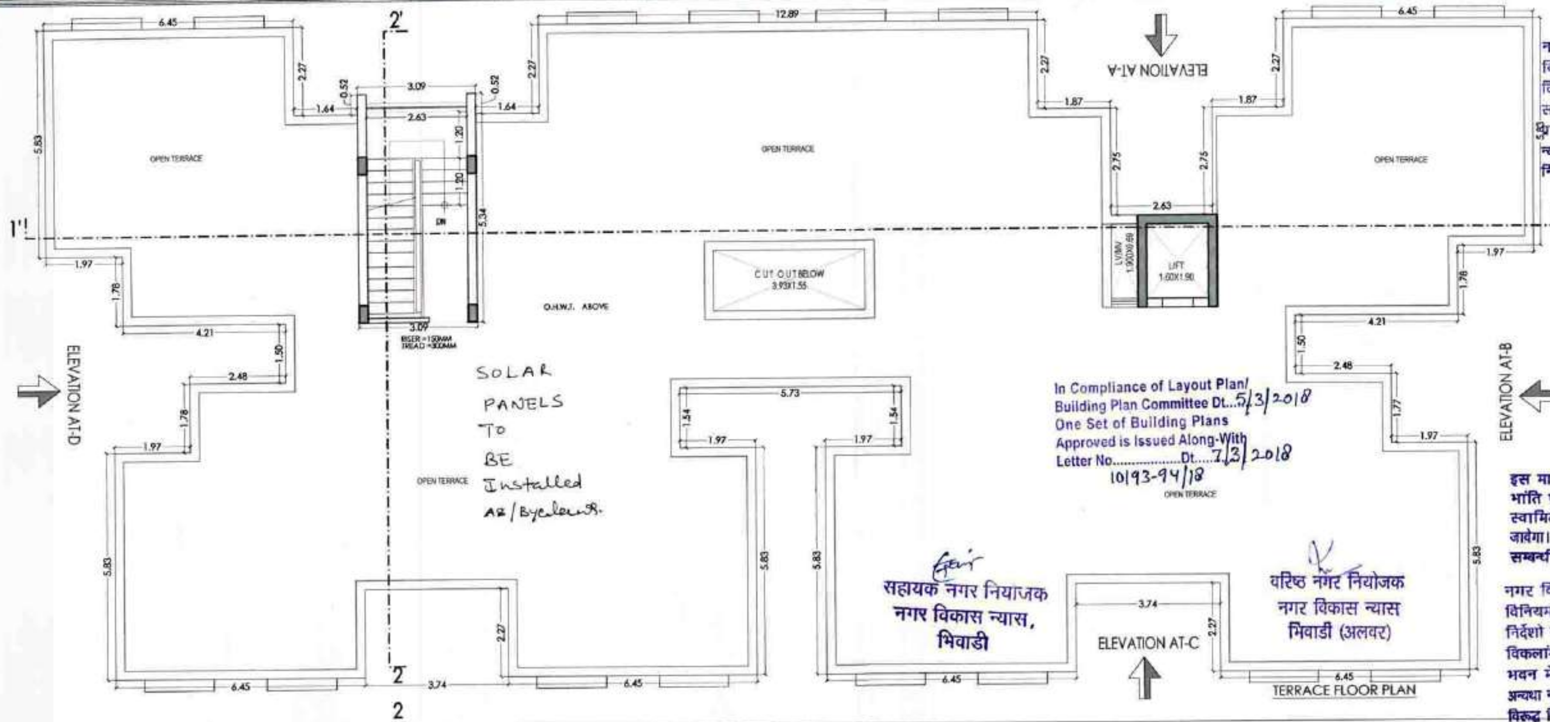

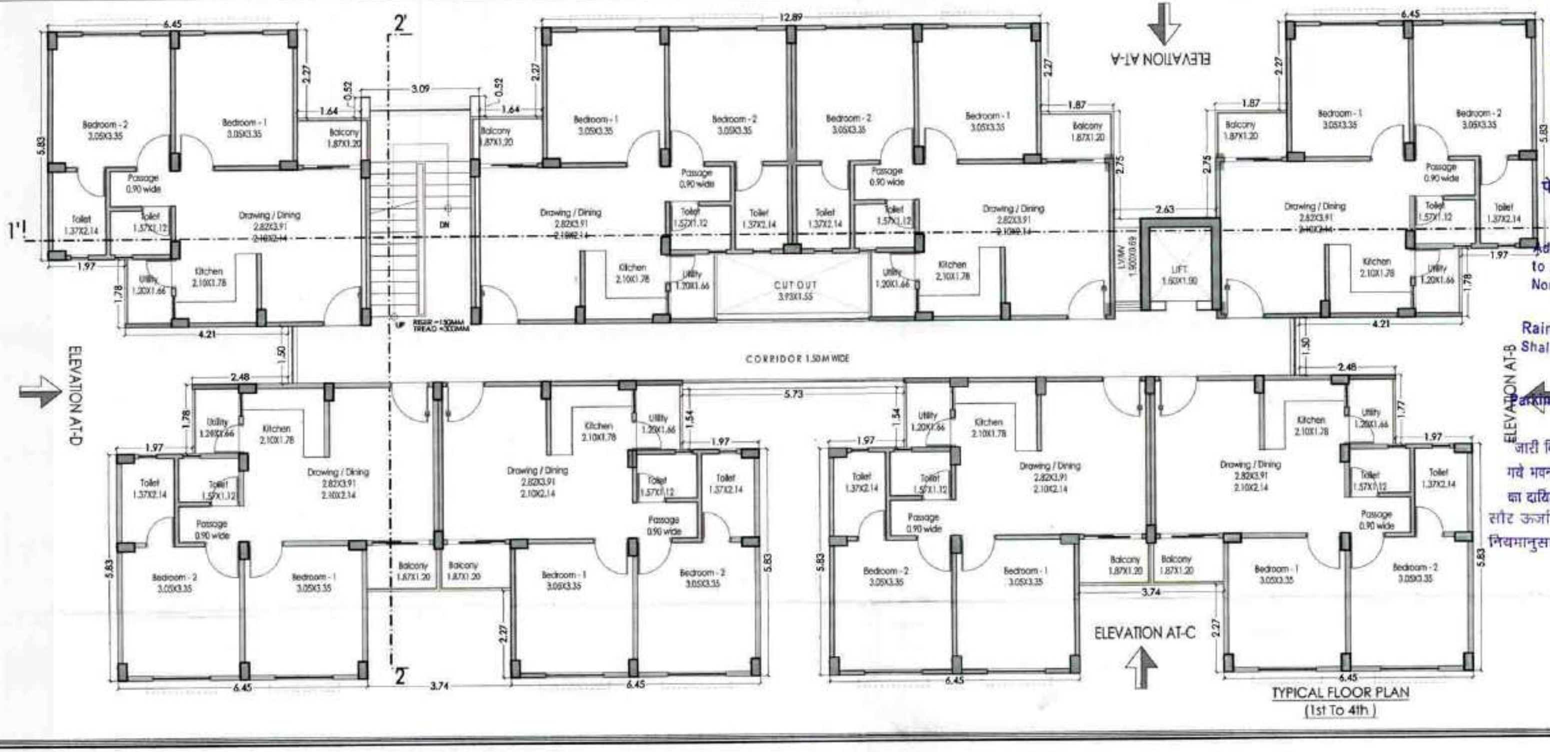

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान–चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
TYPICAL & TERRACE FLOOR PLAN
L.I.G. TOWER TYPE_01

DATE : 03/03/2018

SCALE:- 1= 100

NORTH : W N S E

PROJECT:-
"UPVAN" THE GARDEN CITY, NH-08(JAIPUR-DELHI SIDE), BEHROR

For SIDDHI MULTI-TRADE PVT. LTD.

Authorised Signatory

LAND OWNER:-
M/S SIDDHI MULTITRADE PVT. LTD.

DEVELOPER:-
REVERANCE INFRASTRUCTURE INDIA LLP.

ARCHITECTS:-
m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2741232
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

Ar. Puneet Dua B. Arch. CA/2005/35530

OWNER

ARCHITECTS

GROUND FLOOR PLAN

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ोओ

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुार कार्यवाही की जायेगीं।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

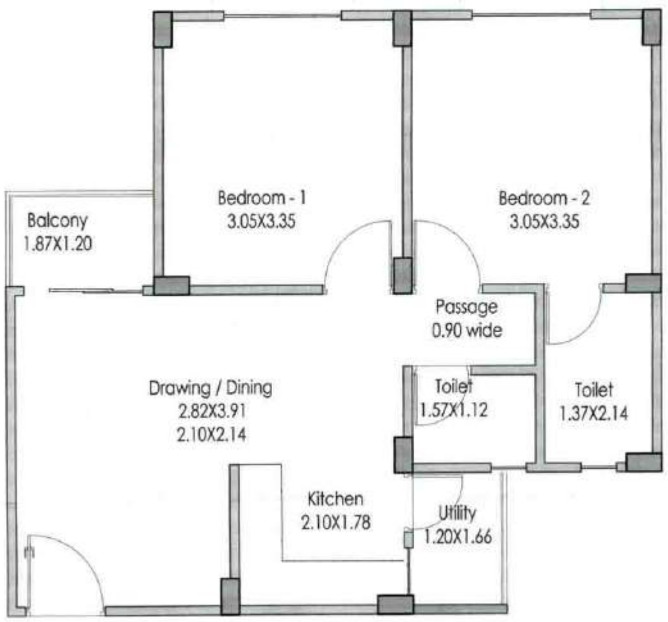

2 BHK L.I.G. UNIT

LIG UNIT CAL.		
	(sqmt.)	(sqft.)
UNIT BUA	51.13	550.36
BALCONY(50%)	2.19	23.52
COMMON AREA	9.60	103.33
S.BUA	62.92	677.21
CARPET AREA	46.05	495.68
BAR	55.51	597.50
FAR	51.13	550.36
G.BUA	56.59	609.13

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 5/3/2018
One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 10193-94/18 Dt. 7/3/2018

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

SHEET NO. - 8

RLG

SUBMISSION DRAWING
FLOOR PLANS

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
GROUND & UNIT FLOOR PLAN
L.I.G. TOWER TYPE _01

DATE : 03/03/2018

SCALE:- 1= 100

NORTH : W N S E

PROJECT:-
"UPVAN" THE GARDEN CITY, NH-08(JAIPUR-DELHI SIDE), BEHROR

For SIDDHI MULTI-TRADE PVT. LTD.
Authorised Signatory

LAND OWNER:-
M/S SIDDHI MULTI-TRADE PVT. LTD.

DEVELOPER:-
REVERANCE INFRASTRUCTURE INDIA LLP.

ARCHITECTS:-
m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2741232
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

Ar. Puneet D...a
B. Arch.
CA/2005/35..0

OWNER | ARCHITECTS

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

LIG TOWER ELEVATION AT- C ,TYPE - LTA

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण–पत्र नही माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभादित होगे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules,

Parking Area Will Bo UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान–चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt....5/3/2018
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Lotter No.................Dt.........7/3/2018
10193-94/18

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

SHEET NO. - 12

RLG

SUBMISSION DRAWING
BUILDING ELEVATION

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
BUILDING ELEVATION AT - C
L.I.G. TOWER TYPE _01

DATE : 03/03/2018

SCALE:- 1= 100

NORTH : W N S E

PROJECT:-
"UPVAN" THE GARDEN CITY,
NH-08(JAIPUR-DELHI SIDE),
BEHROR

For SIDDHI MULTI-TRADE PVT. LTD.

LAND OWNER:-
Authorised Signatory
M/S SIDDHI MULTITRADE PVT. LTD.

DEVELOPER:-
REVERANCE INFRASTRUCTURE
INDIA LLP.

ARCHITECTS:-
m a a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2741232
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

Ar. Puneet D[illegible]a
B. Arch.
CA/2005/355[illegible]0

OWNER | ARCHITECTS

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुार कार्यवाही की जायेगी।

विधुत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/ भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना मे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

LIG TOWER ELEVATION AT- D , TYPE - LTA

LIG TOWER ELEVATION AT- B , TYPE - LTA

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 5/3/2018
One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No.......... Dt. 7/3/2018
10193-94/18

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

SHEET NO. - 13

RLG

SUBMISSION DRAWING
BUILDING ELEVATION

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
BUILDING ELEVATION AT - B & D
L.I.G. TOWER TYPE _01

DATE : 03/03/2018

SCALE:- 1= 100

NORTH W N S E

PROJECT:-

"UPVAN" THE GARDEN CITY, NH-08(JAIPUR-DELHI SIDE), BEHROR

For SIDDHI MULTI-TRADE PVT. LTD.

LAND OWNER:-

Authorised Signatory
M/S SIDDHI MULTITRADE PVT. LTD.

DEVELOPER:-

REVERANCE INFRASTRUCTURE INDIA LLP.

ARCHITECTS:-

m a a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2741232
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

Ar. Puneet Dua
B. Arch.
CA/2005/35550

OWNER | ARCHITECTS

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015

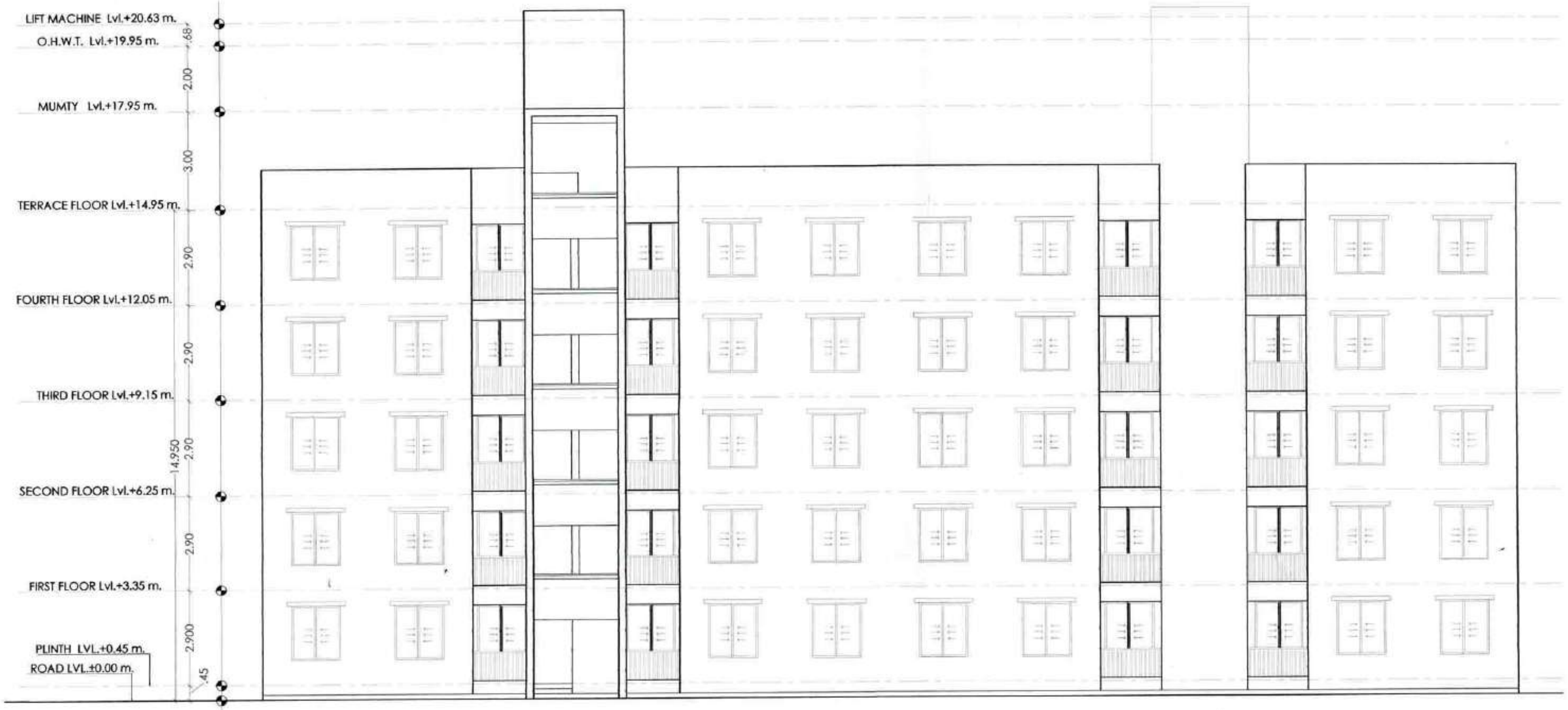

LIG TOWER ELEVATION AT- A , TYPE - LTA

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नही माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. , Norms.

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt......5/3/2018
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No.................7/3/2018
10193-94/18

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

SHEET NO. - 14

RLG

SUBMISSION DRAWING

BUILDING ELEVATION

TITLE:- SUBMISSION DRAWING

BUILDING ELEVATION AT - A
L.I.G. TOWER TYPE _01

DATE : 03/03/2018

SCALE:- 1= 100

NORTH : W N S E

PROJECT:-

"UPVAN" THE GARDEN CITY, NH-08(JAIPUR-DELHI SIDE), BEHROR

For SIDDHI MULTI-TRADE PVT. LTD.

LAND OWNER:-

Authorised Signatory

M/S SIDDHI MULTITRADE PVT. LTD.

DEVELOPER:-

REVERANCE INFRASTRUCTURE INDIA LLP.

ARCHITECTS:-

m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2741232
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

Ar. Puneet D[illegible]
B. Arch.
CA/2005/355[illegible]0

OWNER | ARCHITECTS

SHEET NO. - 10

RLG

SUBMISSION DRAWING

BUILDING SECTION

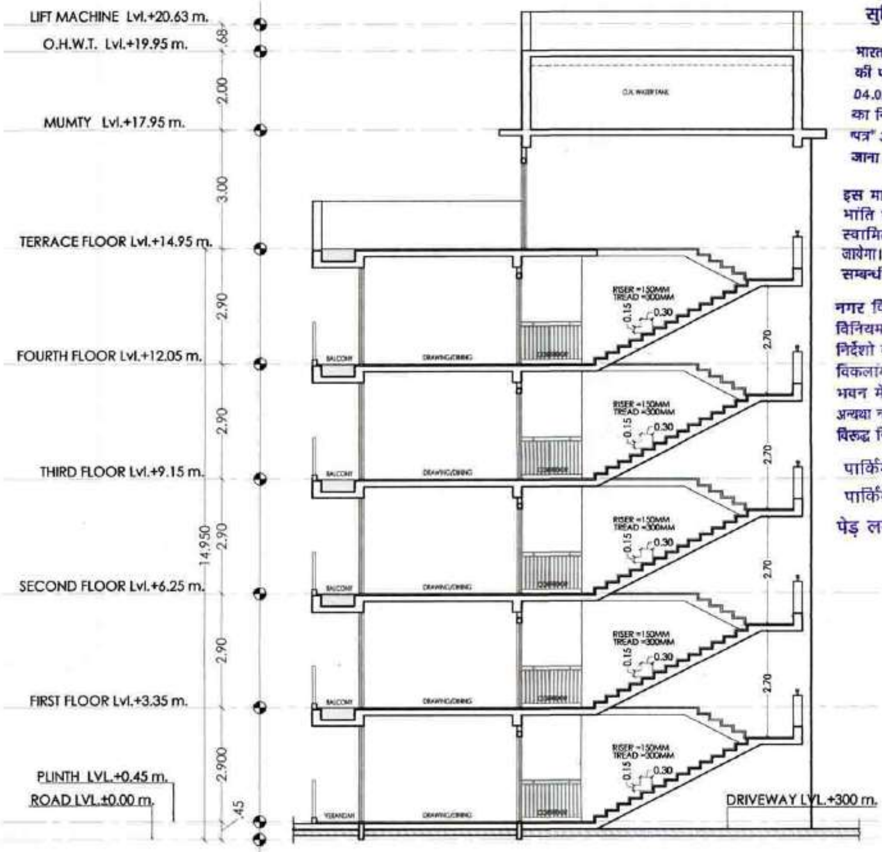

SECTION- 2_2 TYPE - LTA

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुार कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण–पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमनुसार कार्यवाही की जावेगी।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान–चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

In Compliance of Layout Plan
Building Plan Committee Dt....5/3/2018
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 10193-94/18 Dt. 7/3/2018

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
BUILDING SECTION AT - 2_2'
L.I.G. TOWER TYPE_01

DATE : 03/03/2018

NORTH : W N S E

SCALE:- 1= 100

PROJECT:-
"UPVAN" THE GARDEN CITY, NH-08(JAIPUR-DELHI SIDE), BEHROR

For SIDDHI MULTI-TRADE PVT. LTD.

LAND OWNER:-
Authorised Signatory
M/S SIDDHI MULTITRADE PVT. LTD.

DEVELOPER:-
REVERANCE INFRASTRUCTURE INDIA LLP.

ARCHITECTS:-
m|a|a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2741232
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

Ar. Puneet D...
B. Arch.
CA/2005/355..0

OWNER

ARCHITECTS

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

SHEET NO. - 11

RLG

SUBMISSION DRAWING

BUILDING SECTION

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुार कार्यवाही की जायेगी।

विधुत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/ भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण–पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही की जावेगी।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

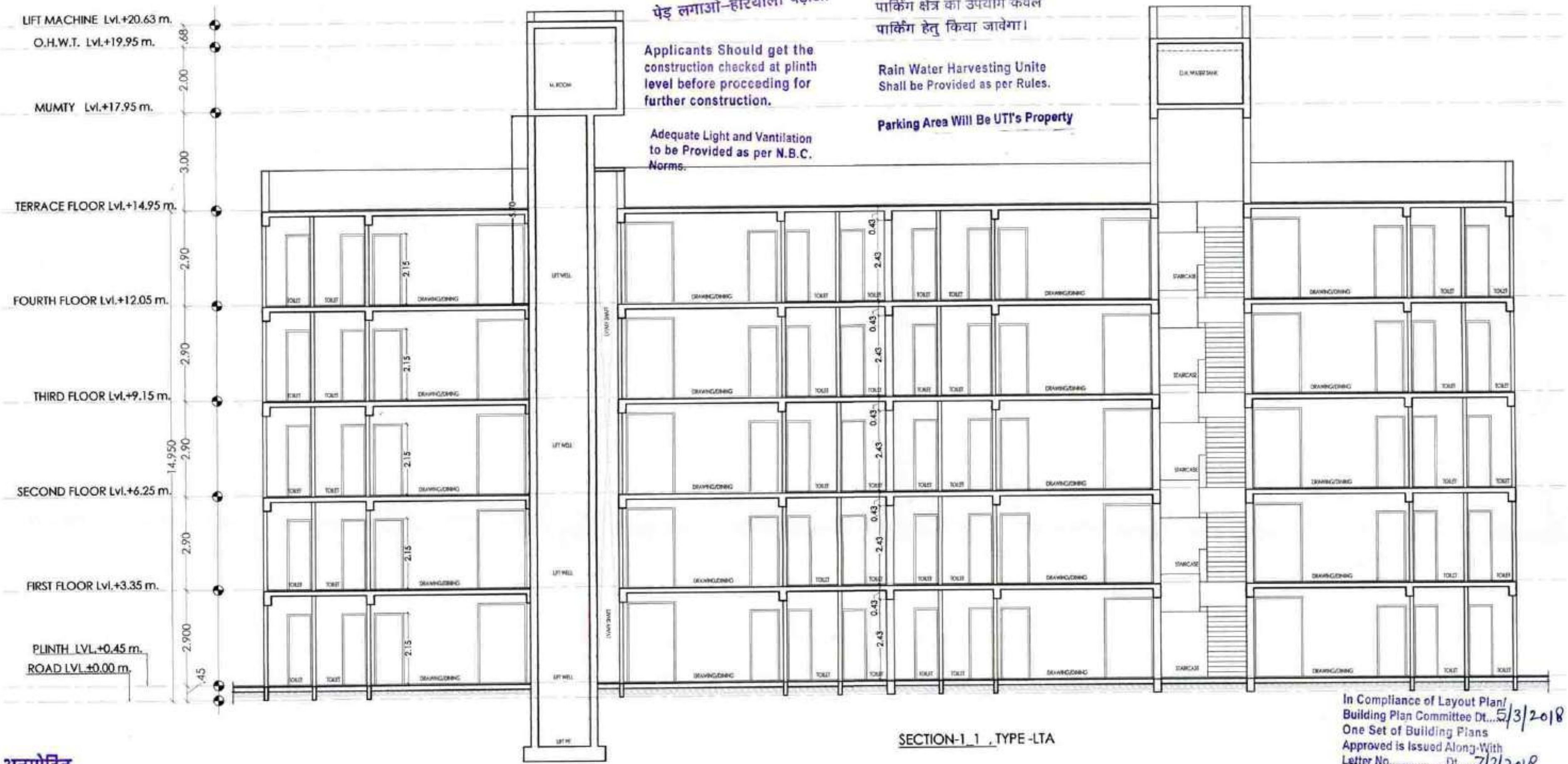

SECTION-1_1 , TYPE -LTA

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt....5/3/2018
One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No.........Dt.....7/3/2018
10193-94/18

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
BUILDING SECTION AT - 1_1'
L.I.G. TOWER TYPE _01

DATE : 03/03/2018

SCALE:- 1= 100

NORTH

PROJECT:-
"UPVAN" THE GARDEN CITY, NH-08(JAIPUR-DELHI SIDE), BEHROR

For SIDDHI MULTI-TRADE PVT. LTD.
Authorised Signatory

LAND OWNER:-
M/S SIDDHI MULTITRADE PVT. LTD.

DEVELOPER:-
REVERANCE INFRASTRUCTURE INDIA LLP.

ARCHITECTS:-
m|a|a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2741232
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

Ar. Puneet Dua
B. Arch.
CA/2005/35530

OWNER | ARCHITECTS

RERA PHASE-2

Phase -1 is Already Registered with Rera no.- RAJ/P/2018/672

Phase -2 is Already Registered with Rera no.- RAJ/P/2019/973

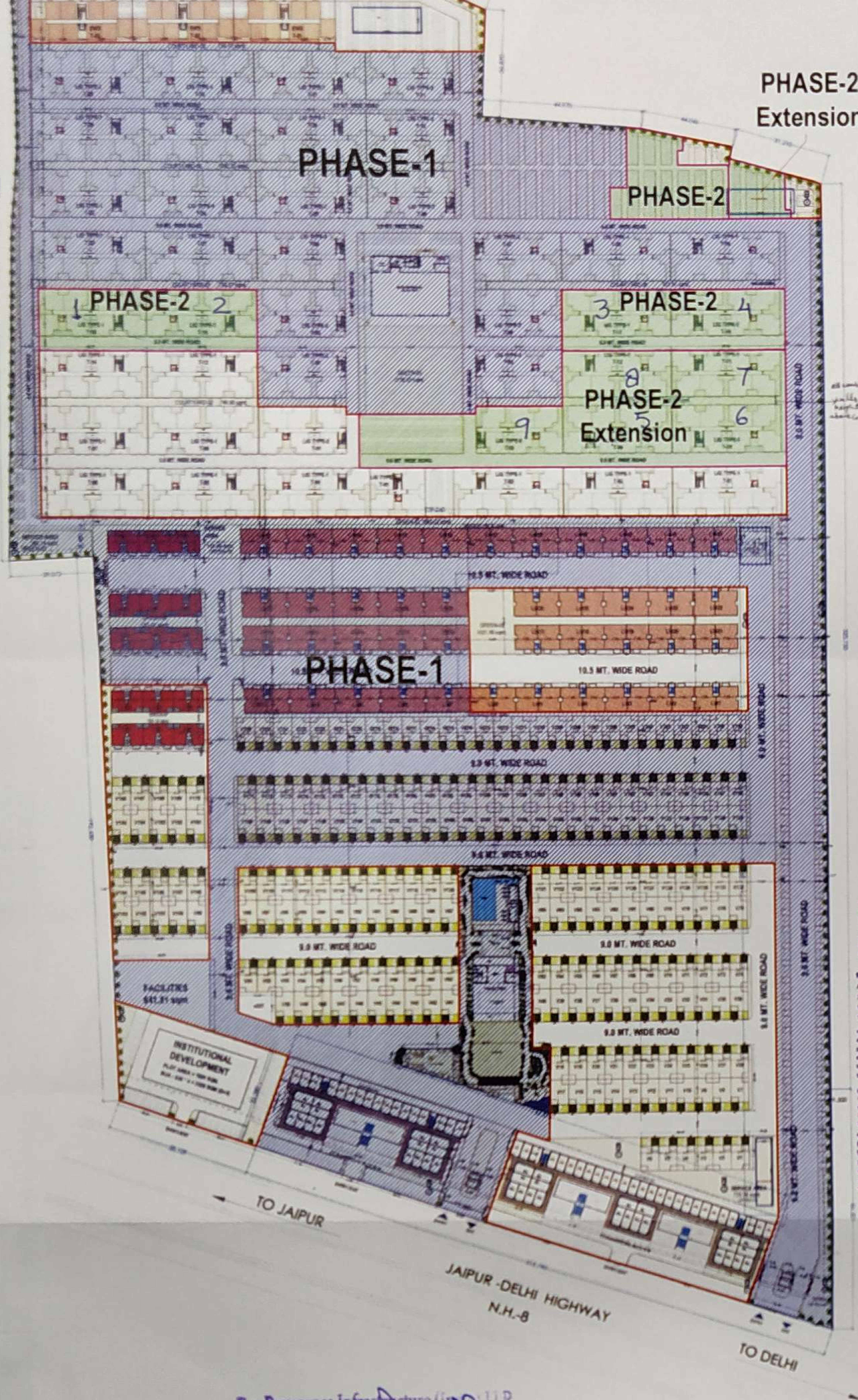

AREA CALCULATIONS

TOTAL NET PLOT AREA	135354.86 SQ.MT.
PART - A PLOT AREA	64667.48 SQ.MT.
PART - B PLOT AREA	50718.15 SQ.MT.
PART A , AREA CALCULATIONS (FOR EWS/LIG) (G+4) AS PER PROVISION 10 (B)	
PLOT - A PLOT AREA	64667.48 SQ.MT.
ACHIEVED HEIGHT	14.95 MT.
TOTAL UNITS PROVIDED	2040.00
PERMISSIBLE E.W.S. UNITS = 20% OF TOTAL UNITS	408 UNITS
E.W.S. UNITS PROVIDED	450.00
L.I.G. UNIT PROVIDED	1590.00
PERMISSIBLE COMMERCIAL AREA=5% OF ACHIEVED BAR (127413.5)	6370.67
ACHIEVED COMMERCIAL AREA	6365.80
MINIMUM COMMERCIAL 1% FOR DAILY USE SHOPS	63.70 SQ.MT.
PROVIDED MINIMUM COMMERCIAL AREA 1.48 %	94.45 SQ.MT.
TOTAL COMMERCIAL SHOPS PROVIDED	204.00
PARKING CALCULATIONS E.W.S. /L.I.G.	
FOR E.W.S PARKING REQUIRED	450 Scooters
FOR L.I.G. PARKING REQUIRED	3180 Scooters
TOTAL PARKING REQUIRED	3630 Scooters
TOTAL PARKING PROVIDED	3635 Scooters
PARKING CALCULATIONS FOR COMMERCIAL	
PARKING REQUIRED =ACHIEVED BAR/75= 20% (6374.50/75X1.25)	106.09 ECU
SAY CARS	80.00
SCOOTERS	79 (26.33 ECU)
U.G. SERVICES AREA	
UNDERGROUND S.T.P	216.00 SQ. MT.
UNDERGROUND WATER TANK	216.00 SQ. MT.
PART 'B'	
UNDERGROUND S.T.P	140.00 SQ. MT.
UNDERGROUND WATER TANK	144.00 SQ. MT.

AREA CALCULATION (PART A)

AREA CALCULATION (PART B)

GREEN AREA (PART A)

GREEN AREA (PART B)

STANDARD FAR CALCULATION

ACHIEVED FAR CALCULATION

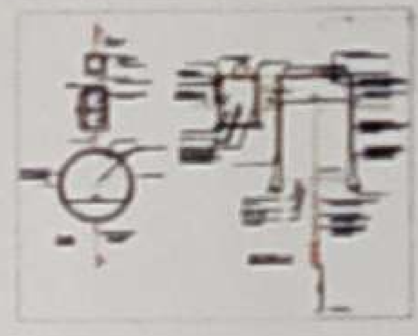

RAIN WATER HARVESTING PIT DETAILS

अनुमोदित

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules.

SHEET NO. 01

SUBMISSION DRAWING

SITE PLAN

KEY PLAN

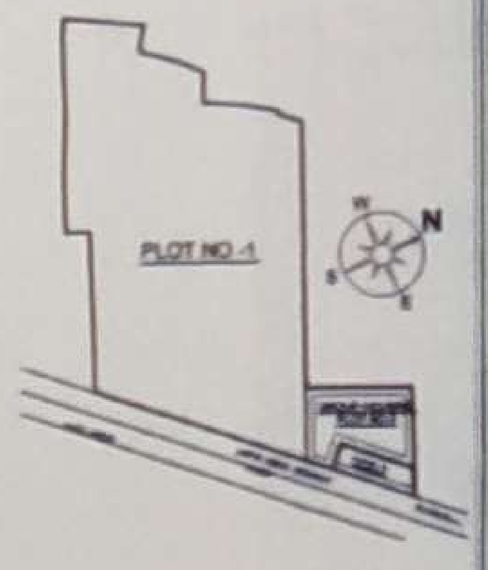

TITLE:- SUBMISSION DRAWING

SITE PLAN

DATE : 03/03/2018

SCALE:- 1= 750

NORTH

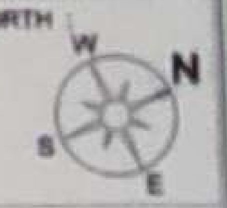

PROJECT:-

"UPVAN" THE GARDEN CITY, NH-08(JAIPUR-DELHI SIDE), BEHROR

LAND OWNER:-

M/S SIDDHI MULTITRADE PVT. LTD.

Authorised Signatory

DEVELOPER:-

REVERANCE INFRASTRUCTURE INDIA LLP.

ARCHITECTS:-

m a a r c h i t e c t s pvt. ltd.

Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001

Ar. Puneet Dua B. Arch.

Ar. Puneet Dua B. Arch.

OWNER ARCHITECTS

For Reverance Infrastructure (India) LLP

Authorised Signatory